भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4103
25 मार्च,2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहन देना

4103. डॉ. अमर सिंह:
श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेषकर एमएसपी, सिंचाई और फसल विविधीकरण के संबंध में फतेहगढ़ साहिब में छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त क्षेत्र में जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा कृषि को विषैले रसायनों से मुक्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (घ): सरकार कृषि को प्रोत्साहित करने और एमएसपी, सिंचाई और फसल विविधीकरण के संबंध फतेहगढ़ साहिब के लघु और सीमांत किसानों सहित संपूर्ण देश के किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु कई कदम उठा रही है। विवरण नीचे दिया गया है।

(i) प्रत्येक वर्ष,सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पंजाब सहित संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार,सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

(ii) सरकार वर्ष 2015-16 से पंजाब सहित देश में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 से इस योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत की जा रही है। इस योजना के तहत, सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली की स्थापना हेतु लघु और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक किसान को 5 हेक्टेयर तक के लिए सब्सिडी सहायता दी जाती है। लाभार्थी उसी भूमि पर सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हेतु सब्सिडी के लिए पुन: पात्र होंगे। पंजाब राज्य में पीडीएमसी योजना के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (₹ करोड़ में)	सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
2015-16	43.00	1799
2016-17	1.18	1950
2017-18	0.00	600
2018-19	9.00	507
2019-20	0.00	942
2020-21	0.00	742
2021-22	0.00	3719
2022-23	3.75	3039
2023-24	6.00	2864
2024-25 (अब तक)	5.50	657
कुल	**68.43**	**16819**

(iii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन पंजाब (फतेहगढ़ साहिब सहित 19 जिले) सहित मूल हरित क्रांति वाले राज्यों में किया जा रहा है ताकि जल की अधिक खपत वाले धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों में परिवर्तित किया जा सके। फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से सभी श्रेणी के किसानों को सीडीपी के तहत आने वाले विभिन्न पद्धतियों जैसे वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन, क्षेत्र विशिष्ट गतिविधियाँ और कंटिंजन्सी फॉर अवेयरनैस, प्रशिक्षण, कार्यान्वयन, निगरानी आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): सरकार पंजाब राज्य सहित देश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई योजना जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे क्लस्टर में जैविक क्लस्टर तैयार करना है जहाँ लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

पीकेवीवाई योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में ₹ 31,500 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को जैविक उर्वरकों सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक आदान के लिए ₹15,000 प्रति हेक्टेयर, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए ₹4,500 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए ₹3,000 प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए ₹9,000 प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पीकेवीवाई योजना के तहत फतेहगढ़ साहिब जिले में 473 किसानों की भागीदारी से 495.49 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत शामिल किया गया है।

जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 'मृदा जैव विविधता-जैव-उर्वरक' पर नेटवर्क परियोजना के तहत विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों के उन्नत और कुशल उपभेदों को विकसित किया है। इस परियोजना के तहत आईसीएआर ने विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरक के उन्नत और कुशल उपभेदों, उच्च शेल्फ लाइफ सहित तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी, दो या अधिक जैव-उर्वरक उपभेदों के साथ जैव-उर्वरक संघ निर्माण, माइक्रोबाइल एनरिच्ड बायो कम्पोस्ट और जिंक और पोटेशियम घुलनशील जैव-उर्वरक विकसित किए हैं। आईसीएआर किसानों को जैव-उर्वरकों के उपयोग के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी देता है।

*****